दिनांक 27.09.2018

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

आयुक्त महोदय श्री एस0के0 सुंदरानी द्वारा कार्य में सरलीकरण लाने हेतु अपनी शक्तियां प्रदत्त की

भिलाईनगर/ नगर पालिक अधिनियम 1956 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आयुक्त एस0के0 सुंदरानी के द्वारा कार्य सुचारु रुप से हो इसके लिए विभिन्न निर्माण विकास कार्य राशि रुपये 5 लाख के प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशा निर्देश के अनुसार मोर जमीन मोर मकान प्रकरणों में हितग्राहियों के द्वारा निर्माणाधीन एवं निर्मित आवासों की किश्त भुगतान करने की स्वीकृति देने एवं छ0ग0 नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा का उपयोग करते हुए अधीक्षण अभियंता सत्येन्द्र सिंह को आयुक्त की शक्तियां दी गई है। साथ ही नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा का उपयोग करते हुए स्वीकृत निर्माण व विकास कार्यों व सम्पत्ति, नामान्तरण संबंधी प्रकरणों का समाचार पत्रों में निविदा सूचना का प्रकाशन करने हेतु श्री पी0सी0 सार्वा जनसम्पर्क अधिकारी को आयुक्त की शक्तियां दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी श्री ए0के0 द्विवेदी को प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के भविष्यनिधि की अग्रिम राशि की स्वीकृति दिये जाने हेतु, विभाग प्रमुख, अधीक्षण अभियंता, सहायक अभियंता, जोन आयुक्त, सहायक राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, स्वच्छता निरीक्षक, के अलावा शेष कर्मचारियों की नस्तियां स्वतंत्र रुप से अर्जित अवकाश व आकस्मिक अवकाश वेतन एवं भत्ते आदि की स्वीकृति, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के नियमिति उपरान्त सर्विस बुक का प्रमाणीकरण एवं हस्ताक्षर किये जाने तथा शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों के सत्यापन आदि कार्य ए0के0 द्विवेदी प्रभारी उपायुक्त द्वारा की जावेगी। निगम भिलाई के सेवानिवृत्त व मृतक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के परिवार कल्याण व समुह बीमा का दावा भुगतान एवं अंतिम भुगतान के प्रकरणों एवं बैंक पासबुक एवं संचालनालय की ओर से प्रेषित किये जाने वाले पत्र में प्रभारी उपायुक्त का निर्णय होगा। अधिकारी, कर्मचारियों की आकस्मिक मृत्यु उपरान्त अनुग्रह राशि की स्वीकृति भी द्विवेदी द्वारा की जावेगी।

जन सम्पर्क अधिकारी